

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 453 /712/1(3)79

भोपाल, दिनांक 12th जनवरी, 1979

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0, भ्वातिपर,
संयुक्त संघान्तरित,
संयुक्त विभागाध्यक्ष,
संयुक्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश ।

विषय :- राज्य सरकारों के अधीन सेवा कर रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र
संघ लोक सेवा आयोग को अग्रोहित किये जाने यावत् ।
xxx

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 18 जनवरी, 1977, के ज्ञापन
डी क्रमांक 22/2722/1(3)76 में यह निर्देश दिये गये हैं कि संघ लोक सेवा
आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा या चयन हेतु साक्षात्कार में बैठने
के लिए राज्य सरकार के कर्मचारी अपने आवेदन-पत्र निर्धारित फार्म में सीधे
आयोग को भेज सकते हैं, परन्तु उसके पश्चात् आयोग द्वारा निर्धारित किये गये
प्रमाण-पत्र के फार्म नियुक्ति अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आवश्यक प्रविष्टियाँ
करके एवं हस्ताक्षर कर नियत तिथि के बाद 15 दिन के अंदर आयोग को भेज
देना चाहिये ।

2- उक्त कार्यप्रणाली में भारत सरकार द्वारा जित्त प्रकार संशोधन किया
गया है, उसके प्रकाश में यह निर्देश दिये जाते हैं कि राज्य शासन के अधीन
कार्यरत शासकीय सेवक, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली
प्रतियोगिता परीक्षा या चयन हेतु साक्षात्कार में बैठने के इच्छुक हों, वे अपने
आवेदन-पत्र निर्धारित छपे हुए फार्म पर सीधे संघ लोक सेवा आयोग को भेज
सकते हैं । इसके तुरन्त पश्चात् उन्हें, उनके द्वारा जित्त पद/सेवा के लिए
आवेदन-पत्र भेजा गया है उसके संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपने नियुक्ति
प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को निवेदन किया जाना चाहिये कि इस संबंध में उनकी
स्वीकृत संघ लोक सेवा आयोग को सीधे भेज दिया जाय । यदि नियुक्ति अधिकारी/
कार्यालयाध्यक्ष उक्त आवेदक को इस चयन परीक्षा के लिए स्वीकृत नहीं देना
चाहते हैं, तो उन्हें इसकी सूचना आयोग को आवेदन पत्र भेजने के लिये नियत की
गई अंतिम तिथि के 30 दिन के भीतर अवश्य भेज देनी चाहिये, अन्यथा यदि

इस अवधि में भीतर आयोग को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तो आयोग द्वारा यह सभना माध्या कि नियुक्ति अधिकारी/कार्यालयवाचक को उस आवेदक को परीक्षा/ प्रश्न के लिए उनके द्वारा विचार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है ।

3- आपसे निवेदन है कि लॉक सेवा आयोग को शासकीय सेवाओं के आवेदन अंग्रेजित करने के लिए उपर्युक्त कार्यप्रणाली का अनुसरण करें ।

[Handwritten Signature]

(एन०आर० कृष्णन)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ०प्र०नं० 454 / 712/1(3)79

भोपाल, दिनांक 12th नवम्बर, 1979

प्रतिलिपि :-

- 1- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर,
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल,

- 2- राज्यपाल के सचिव,
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल,

- 3- मुख्य मंत्री/संसद मंत्रीगण/संसद राज्य मंत्रीगण के
निज सचिव/निज सहायक,

की ओर सूचनार्थ अंग्रेजित ।

[Handwritten Signature]
सचिव/-

[Handwritten Signature]
(के०एन० श्रीवास्तव)
अवर, सचिव,
मध्यप्रदेश